

प्रश्न सं. [ क. 1258 ]

परिशिष्ट

क्रि.सं. प्रश्न क्र. : 1258 (तायंकिन), आन्ध्र प्रदेश राज्य, सन 2017/22

श्री सिगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगालिया जिला-खंडवा के राखड बांध के प्रथम चरण के लेगून क्रमांक 01 के समीप स्थित कृषकों की भूमि में रिसाव के कारण हुए फसलो के नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित गुभावजे के भुगतान का विवरण

क्र.	माह/वर्ष	प्रभावित कृषकों की संख्या	रशि	धनादेश क्र. एवं दिनांक	कार्यालय का नाम जहां भुगतान/वितरण हेतु जमा किया गया	रिमांक
01	जून -2017	53	रु.474940/-	धनादेश क्र. 784247 दिनांक 22.06.2017	धनादेश अनुविभागीय अधिकारी पुनासा	
02	नवम्बर-2018	84	रु.751480/-	धनादेश क्र. 048459 दिनांक 13.11.2018	अनुविभागीय अधिकारी पुनासा	
03	जुलाई-2020	96	रु.848220/-	धनादेश क्र. 220986 दिनांक 20.07.2020	अनुविभागीय अधिकारी पुनासा	
04	जुलाई-2021	91	रु.808920/-	धनादेश क्र. 336358 दिनांक 29.06.2021	तहसीलदार पुनासा	अनुविभागीय अधिकारी पुनासा के पत्र क्र. 642/ प्रवा /2021 पुनासा दिनांक 19.03.2021 द्वारा रबी एवं खरीफ की फसलों की क्षति का आकलन कर पुआवजा राशि रु. 1617840/- का निर्धारण किया गया था। विचारोपरान्त सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर एक फसल चक्र हेतु राशि रु. 808920/- का धनादेश जमा किया गया है।

(संजय पण्डेर)

अति. मुख्य अभियंता (सिविल)

2X600ने.वा., प्रथम चरण

श्री सि.ता.वि.परि., दोंगालिया

अनुभाग अधिकारी  
ऊर्जा विभाग, सं. प्रसंग  
भोपाल